



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में विभिन्न विकासकर्मियों के साथ आयोजित बैठक को संबोधित किया।

पम्प भण्डारण परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार लाएगी नीति- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

मुख्यमंत्री ने कहा, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन एवं पर्यावरण संरक्षण में पम्प भण्डारण परियोजनाओं का अहं योगदान है

जयपुर, 5 अगस्त (का.सं.)। सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित विभिन्न विकासकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में नवीकरणीय ऊर्जा का अहम योगदान है। इसलिए राज्य सरकार प्रदेश में पम्प भण्डारण परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए नीति लाने वाली है। उन्होंने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन एवं पर्यावरण संरक्षण में पम्प भण्डारण परियोजनाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसी परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार एक स्पष्ट और ठोस नीति बनाने के लिए

- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विकासकर्ताओं के साथ मीटिंग की और प्रदेश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने पर चर्चा की।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि पम्प भण्डारण परियोजना के लिए बनाई जाने वाली नीति से नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन मिलेगा।

प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी नीति से निवेशकों को पम्प भण्डारण परियोजनाओं की स्थापना एवं संचालन के संबंध में स्पष्ट मार्गदर्शन मिलेगा और वे इस क्षेत्र में निवेश करने के लिए आकर्षित होंगे। उन्होंने विकासकर्ताओं से कहा कि वे अपने सुझाव राज्य सरकार को प्रेषित करें, जिनका उचित

परीक्षण कर राज्य सरकार आगामी नीति में शामिल करेगी। बैठक में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के प्रबंध निदेशक नथमल डिडेल ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से पम्प भण्डारण परियोजनाओं की प्राप्ति के बारे में मुख्यमंत्री को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने प्रदेश में 8 संभावित स्थानों पर 7100 मेगावाट

की पम्प भण्डारण परियोजनाओं को चिन्हित किया है। साथ ही, कई विकासकर्ता भी पम्प भण्डारण परियोजनाओं से जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में, राजस्थान विंड एंड हाइड्रोजन एनर्जी पॉलिसी- 2019, एवं राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति- 2023 के प्रावधानों के अंतर्गत पम्प भण्डारण परियोजनाओं पर कार्य किया जाता है। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन अभय कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव वन एवं पर्यावरण अपर्णा अरोरा, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल एवं प्रमुख सचिव आलोक गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं निजी विकासकर्ताओं के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे।

विपक्षी नेता खालिदा जिया की रिहाई

ढाका, 05 अगस्त। बांग्लादेश में मंचे हंगामे के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। राष्ट्रपति ने जेल में बंद पूर्व पीएम और विपक्षी नेता खालिदा जिया को रिहा करने का आदेश दिया है। इसके अलावा सेना की तरफ से एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। सेना ने कहा है कि बांग्लादेश में मंगलवार सुबह कर्फ्यू खत्म हो जाएगा। स्कूल और व्यवसाय फिर से खुलेंगे।

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद जाँय ने सोमवार को कहा कि उनकी मां अब

जयपुर ग्रामीण ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) सिर्फ 1615 मतों से पराजित होना बताया गया। वहीं, जब उन्होंने पोस्टल वोट के मतों को पुनः गणना करने को कहा तो यह कहते हुए इन्कार कर दिया गया कि पोस्टल वोट की संख्या कम है, जबकि वास्तव में इनकी संख्या 1615 से काफी ज्यादा थी। यदि उनकी पुनः गणना होती तो वे विजयी हो जाते। इसलिए मतों को पुनः गणना कराई जाए और उन्हें विजयी घोषित किया जाए।

गौरतलब है कि चुनाव में भाजपा के राव राजेश्वर सिंह को 6 लाख 17 हजार 877 मत मिले थे, जबकि अनिल चोपड़ा को 6 लाख 16 हजार 262 मत प्राप्त हुए थे। उस समय अनिल चोपड़ा ने पोस्टल वोट के मतों में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए पुनः मतगणना की मांग की थी, लेकिन उनकी मांग को खारिज कर दिया गया, जिसके बाद चोपड़ा रिटर्निंग ऑफिसर के कमरे में धरने पर भी बैठ गए थे।

बांग्लादेश में भारी बवाल, प्रधानमंत्री शेख...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) कार्यकर्ताओं ने इस दौरान ऑटोमैटिक हथियारों का भी इस्तेमाल किया। सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में कुछ चुने हुए समूहों को आरक्षण देने के खिलाफ सप्ताहों तक चले विरोध प्रदर्शनों का सीधा परिणाम यह हुआ कि हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। ढाका में सोमवार को हजाराओं की तादाद में प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री हसीना के सरकारी आवास में घुस गए।

आरक्षण कोटा सिस्टम के विरुद्ध छात्रों का प्रदर्शनकारी आन्दोलन जून माह में शांतिपूर्वक तरीके से प्रारम्भ हुआ था। हालांकि, बाद में यह आन्दोलन हिंसक हो गया था। इसके परिणामस्वरूप दर्जनों लोगों की मृत्यु हो गई थी। एक अल्पकालिक शांति के बाद, हिंसक विरोध-प्रदर्शन पिछले सप्ताह फिर भड़क गया था। तब दो दिनों में इसके चलते 100 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट द्वारा 21

- बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्षी नेता खालिदा जिया को रिहा करने के आदेश दिए।
- सेना ने मंगलवार से कर्फ्यू खत्म होने और स्कूल, व्यवसाय खुलने की बात कही।

राजनीति में नहीं लौटेंगी। हसीना के पूर्व आधिकारिक सलाहकार रहे जाँय ने कहा कि उनकी मां ने परिवार के आग्रह पर अपनी सुरक्षा के लिए देश छोड़ दिया। हसीना (76 वर्ष) ने अपनी सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के बीच इस्तीफा दे दिया और लंदन के लिये रवाना हो गईं।

'बीबीसी वर्ल्ड सर्विस' पर 'न्यूज़आवर' को दिए एक इंटरव्यू में जाँय ने कहा कि उनकी मां की कोई राजनीतिक वापसी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हसीना रिवार से ही इस्तीफा देने पर विचार कर रही थीं और परिवार

कांग्रेस ने शिवराज ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) उसकी 50 प्रतिशत अधिक राशि बतौर एम.एस.पी. मिल रही है वहीं, सुप्रीम कोर्ट में 6 फरवरी 2015 में दायर एक हलफनामा में भाजपा सरकार ने कहा था कि यह संभव नहीं है। हम जानना चाहते हैं कि वास्तव में सच क्या है। कांग्रेस ने केन्द्रीय कृषि मंत्री के इस दावे को भी चुनौती दी कि किसानों को एम.एस.पी. की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें विभिन्न फसलों पर एम.एस.पी. से ज्यादा मूल्य मिल रहा है।

मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि

के आग्रह के बाद अपनी सुरक्षा के लिए देश छोड़कर चली गईं।

खबर के मुताबिक, जाँय ने कहा कि 15 साल तक बांग्लादेश पर शासन करने वाली उनकी मां बहुत निराशा थी कि उनकी इतनी मेहनत के बाद भी लोग उनके खिलाफ उठ खड़े हुए। हसीना की निराशा को अभिव्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, उन्होंने बांग्लादेश को बदल दिया है। जब उन्होंने सत्ता संभाली थी, तो इसे एक असफल राष्ट्र माना जाता था। यह एक गरीब देश था। लेकिन आज इसे एशिया के उभरते देशों में से एक माना जाता था। वह बहुत निराशा हैं।

चौहान को झूठ बोलने की आदत है। उन्होंने चौहान के इस दावे पर भी सवाल उठाया कि जब 2003 में जब दिग्विजय सिंह ने राज्य की सत्ता छोड़ी थी, तब मध्यप्रदेश की 7 लाख हैक्टर पर जमीन ही सिंचित थी। जबकि 1997-1998 में राज्य की 33 लाख हैक्टर पर भूमि सिंचित थी।

उन्होंने चौहान के इस दावे पर भी सवाल उठाया कि कांग्रेस सरकार ने किसानों को कभी भी कर्ज में राहत नहीं दी, जबकि जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे, तब महज मध्यप्रदेश के 37 लाख किसानों को कर्ज माफ हुआ था।

था-सरकार को पद छोड़ने के लिए बाध्य करना और लोकतंत्र बहाली। स्टूडेंट प्लेटफॉर्म फॉर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समन्वयक नाहिद इस्लाम ने शनिवार को ढाका की शहीद मीनार से घोषणा की थी कि हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि इंसानी जान की सुरक्षा और समाज में न्याय सुनिश्चित करने के लिए हम एक सूत्रीय मांग करेंगे कि प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद और मौजूदा सरकार सत्ता छोड़े तथा फासीवाद खत्म हो। बांग्लादेश के सतत ग्रोथ मॉडल ने क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा दिया है तथा कुछ खास समूहों के हितों को ध्यान में रखकर बनाई जाने वाली आर्थिक नीतियों संरक्षणवाद का प्रतिबिम्ब है। सरकार ने पूर्व में इन्टरनेट शटडाउन का आदेश दिया था क्योंकि विरोधियों ने आम जनता से 'लॉन्ग मार्च दू ढाका' की अपील की थी। हालांकि एक सरकार एजेंसी ने मौखिक आदेश देकर सोमवार को सत्ता बजे इन्टरनेट चालू करवा दिया।

'पर्यटन की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) कमेटी ने पर्यटन के लिहाज से न्यूनतम प्रभावकारी गतिविधियां करने का सुझाव दिया, साथ ही कचरा, यातायात व जल उपयोग पर सख्त नियम लागू करने का सुझाव दिया था। उपरोक्त सभी मदों से संबंधित रिपोर्ट को वहां की राज्य सरकार ने खारिज कर दिया था। इसमें केरल भी शामिल है और सरकार ने वर्ष 2013 में इस मामले पर एक नई समिति का गठन किया था जिसने पहाड़ी सीमा में संरक्षित परिया को घटकर 60 प्रतिशत के बजाए 37 प्रतिशत कर दिया था।

विशेषज्ञों ने पर्यटन बढ़ाने के लिए किए जा रहे विकास की आलोचना की, परन्तु बहुत सारे स्थानीय निवासियों ने तर्क दिया कि पर्यटन से जरूरी रोजगार मिलेगा जो कि यहां पर प्लान्टेशन के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार माध्यम है। हालांकि, इस दृष्टिकोण को गलत नहीं कहा जा सकता लेकिन इस समस्या को बढ़ाने में इस उद्योग की भूमिका को स्वीकार करने की हिम्मत की जरूरत है। यह ऐसा समय है, जब ऐसी भयावह गलतियों से सबक सीखने की जरूरत है।

बांग्लादेश...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) चीजों पर हुआ है। उनकी मूर्ति गिरा दी गई है। शुरुआती संकेत बता रहे हैं कि देश अब बहुत उग्र और कट्टर इस्लामिक व्यवस्था की तरफ तेजी से बढ़ेगा। सबसे बुरी बात यह होगी कि भारत को इन घटनाक्रमों से बहुत मुकसाम होगा। उल्लेखनीय है कि पूरे बांग्लादेश में मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। रामकृष्ण मिशन की इकाइयों एवं मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। 'भारत सेवाभ्रम संघ' पर हमला हुआ है।

भारत ने बांग्लादेश के लिए विमान व रेल सेवा पर रोक लगाई

बांग्लादेश में मची भारी हिंसा व राजनैतिक उथलपुथल के कारण यह फैसला लिया गया है

नयी दिल्ली, 05 अगस्त। बांग्लादेश में राजनैतिक संकट को देखते हुए, एयर इंडिया ने सोमवार को ढाका से आने-जाने वाली सभी उड़ानों को तत्काल स्थगित करने की घोषणा की। इसी प्रकार भारतीय रेलवे ने भी कोलकाता से ढाका एवं खुलना के लिये चलने वाली चारों यात्री ट्रेन सेवाओं और मालगाड़ियों का परिचालन तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। एयरलाइन ने यात्रियों को उड़ानों के लिए पुनर्निर्धारण और रद्दीकरण शुल्क पर एक बार की छूट का आश्वासन भी दिया। एयर इंडिया ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, बांग्लादेश में उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए हमने ढाका से आने-जाने वाली अपनी उड़ानों के निर्धारित संचालन को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है।

- एयर इंडिया ने उड़ानों के पुनर्निर्धारण व टिकट कैंसल किए जाने पर छूट का आश्वासन दिया है।
- रेल्वे के सूत्रों ने बताया कि कोलकाता से चार यात्री रेल बांग्लादेश जाती हैं जिन्हें स्थगित कर दिया गया है। हालात सामान्य होने पर ट्रेन सेवा बहाली पर विचार किया जाएगा।

पोस्ट में कहा गया, हम लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और ढाका से आने-जाने के लिए कन्फर्म बुकिंग वाले अपने यात्रियों को पुनर्निर्धारण और रद्दीकरण शुल्क पर एक बार की छूट के साथ सहायता प्रदान कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि स्थिति जल्द सामान्य होगी और चालक दल को सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारे 247 संपर्क केंद्र पर

011-69329333 / 011-69329999 पर कॉल करें। रेलवे के सूत्रों के अनुसार कोलकाता-खुलना-कोलकाता बंधन एक्सप्रेस तथा ढाका-न्यू जलपाईगुड़ी-ढाका, मिताली एक्सप्रेस ट्रेन सेवाओं को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। सूत्रों ने बताया कि माल ढुलाई परिचालन को भी रोक दिया गया है। इस समय बांग्लादेश में भारतीय रेलवे के

168 लोडेड वैगन 187 खाली वैगन हैं। इसके अलावा बांग्लादेश के लिये आठ लोडेड रेल भारत में रोके गये हैं। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने कहा है कि भारत-बांग्लादेश सीमा पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और स्थिति अभी सामान्य है। बी.एस.एफ. ने बांग्लादेश में सेना की ओर से सोमवार को शेख हसीना सरकार का तख्तापलट किए जाने के बीच सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि, बी.एस.एफ. के महानिदेशक (डीजी) दलजीत सिंह चौधरी, पूर्वी कमान में डीजी पहले से ही मौजूद हैं। भारत-बांग्लादेश सीमा पर स्थिति अभी सामान्य है। बीएसएफ ने कहा, भारत-बांग्लादेश सीमा पर स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, ताकि किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटा जा सके।

बेसमेंट में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) अभ्यर्थियों को दुखद मौत का हवाला देते हुए कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा दायर एक अन्य याचिका पर सुनवाई की। यह याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को, (बेसमेंट में हुई) घटना के बाद अग्निशमन विभाग से वैध अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के बिना राज्य में चल रहे कोचिंग सेंटरों को बंद करने का निर्देश दिया गया था। उच्च न्यायालय ने दो अगस्त को घटना की जांच दिल्ली पुलिस से लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी थी। एक निजी कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 27 जुलाई को अचानक बारिश का पानी घुसने के बाद वहां तीन विद्यार्थियों की डूबकर मृत्यु हो गई थी। इस घटना के बाद से दिल्ली के राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर क्षेत्र में यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे सैकड़ों विद्यार्थी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

सी.बी.आई. मुकदमे में केजरीवाल को राहत नहीं

नयी दिल्ली, 05 अगस्त। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित आबकारी नीति चोटाले के मामले में आरोपी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से दर्ज मुकदमा रद्द किये जाने और जमानत के लिए दायर उनकी याचिकाएं सोमवार को खारिज कर दीं। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृपणा की एकल पीठ ने अपना आदेश

सुनाते हुए कहा कि सीबीआई के पास केजरीवाल को गिरफ्तार करने का पर्याप्त कानूनी आधार था। उन्होंने कहा, यह नहीं कहा जा सकता कि गिरफ्तारी बिना किसी न्यायोचित कारण के की गई। उच्च न्यायालय ने गुण-दोष के आधार पर इस मामले में कोई निर्णय लेने से इन्कार कर दिया, लेकिन याचिकाकर्ता को निचली अदालत का दरवाजा खटखटाने की छूट दी।

आर.सी.ए...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) याचिकाकर्ता के अधिवक्ता प्रतीक कासलीवाल ने बताया कि पूर्व में हाईकोर्ट ने अपील को मंजूर करते हुए सुनवाई के लिए दो बिंदु तय किए थे, कि क्या अपीलीय अधिकारी मामले में सुनवाई करने के लिए सक्षम थे और क्या सुनवाई का वैकल्पिक विकल्प मौजूद होने के बावजूद अदालत प्रकरण में सुनवाई कर सकती है? सुनवाई के दौरान दोनों बिंदुओं पर जवाब पेश करने के लिए महाधिवक्ता ने सामग्री। इस पर अदालत ने प्रकरण को सुनवाई 13 अगस्त तक टाल दी है।

"इस पॉलिसी में निवेश पोर्टफोलियो में निवेश का जोखिम पॉलिसीधारक द्वारा वहन किया जायेगा"

सबसे पहले लाइफ इन्वेस्टिस

एक बार बचाएं... और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें

ऑनलाइन भी उपलब्ध

चुनने की आजादी:

- बचत धनराशि: आप कम से कम रु. 1 लाख या जीवन के बड़े लक्ष्यों के लिए उससे बड़ी कोई रकम निवेश कर सकते हैं।
- 4 फंड विकल्प: आप 4 फंड विकल्पों-बांड, सुरक्षित, संतुलित एवं वृद्धि में से कोई चुन सकते हैं।
- नि:शुल्क फण्ड परिवर्तन: आप अपना धन वर्ष में चार बार नि:शुल्क एक फंड से दूसरे फंड में परिवर्तित कर सकते हैं।
- आवश्यकता पर निकासी : 5 वर्ष उपरांत आप आंशिक निकासी कर सकते हैं।*
- जोखिम सुरक्षा विकल्प : प्रीमियम युगलान का 1.25 गुना अथवा 10 गुना जोखिम सुरक्षा चुनने का विकल्प।

पॉलिसी के लाभ:

- गारंटीकृत लाभ: यूनिट फंड वैल्यू के साथ गारंटीकृत लाभ*
- पॉलिसी परिपक्वता: यूनिट फंड वैल्यू

पात्रता :

- प्रवेश की आयु: न्यूनतम आयु: 90 दिन अधिकतम आयु: 35 वर्ष / 70 वर्ष (चयनित जोखिम सुरक्षा के अनुसार)
- परिपक्वता आयु: न्यूनतम आयु: 18 वर्ष अधिकतम आयु: 50 वर्ष / 85 वर्ष (चयनित जोखिम सुरक्षा के अनुसार)
- पॉलिसी अवधि: 10 - 25 वर्ष

योजना सं: 849 UIN:512L317V01

यूनिट लिंकड, असहभागी, एकल प्रीमियम, व्यक्तिगत जीवन बीमा योजना

अधिक विवरण के लिए अपने अभिभावक/एजेंट/सीबीआई की नजदीकी शाखा से संपर्क करें

एसएमएस करें अपने शाहर का नाम 56767474 पर

कॉल सेंटर हेल्प (022) 6827 8827

असहभागी कर एजेंट/सीबीआई को संपर्क करें "MyLIC"

सिंह कर से www.licindia.in पर, इसे सील करे | LIC India Forever

भारत के प्रथम जीव वृद्धि से वृद्धि से संतुलित बीमा पॉलिसियों का समग्र नवी की जा सकती। प्रीमियम को बंद करके यूनिट से वापस लेना पॉलिसियों को पॉलिसीधारक व धारक कर सकते हैं और न ही धारक निवेश किए गए धन को वापस या पूरा कर से निकाल सकते हैं।

निधन व शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए किसी समान से पूर्व किसी-किसी धारक/युक्ति से पूरे लें। * शर्तें लागू

भ्रामक/घोषणाधारी वाले फोन कॉल से सावधान

आवश्यकतापूर्वक बीमा पॉलिसी रिजर्व, कंसेप्ट की घोषणा अथवा प्रीमियम संबंधी परिवर्तनों से संबंध नहीं करता है। ऐसे फोन कॉल से बचाव लेने पर आपसे निवेश किया जाता है कि तुल्य पुलिस से रिक्वायर्ड करपाई करें।

IRDAI Regn No.: 512

हर पल आपके साथ